Tel. No. Office: 0612-2452585
Fax. No.: 0612-2452586
Email-Id-: bipardpatna@yahoo.in

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान

वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना - ८०१५०५

Bihar Institute of Public Administration & Rural Development

Walmi Campus, Phulwari Sharif, Patna - 801505

पत्रांक- बिपार्ड/2023-2135 दिनांक:-14.03.2023

कार्यालय आदेश

बिपार्ड के द्वारा सभी राजपत्रित/अराजपत्रित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा के आयोजन के संबंध मे निदेशानुसार केन्द्राधीक्षक के रूप में **प्रमंडलीय आयुक्त, पटना द्वारा नामित अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी** को नामित किया जाता है। परीक्षा के सफल संचालन की पूर्ण व्यवस्था की जिम्मेवारी केन्द्राधीक्षक की रहेगी, परीक्षा की पूर्ण व्यवस्था की देख–रेख करेंगे। पर्यवेक्षकीय कार्य हेतु श्री दीपक कुमार कौशिक, संकाय, श्री अरविंद कुमार, संकाय, श्री ऋतु रंजन कुमार, संकाय, एवं श्री रजनीश कुमार सिंह, आई. टी. प्रबंधक, बिपार्ड, पटना को नामित किया जाता है। परीक्षा के सफल आयोजन हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते है:--

1. सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष मे प्रवेश के पूर्व अपना प्रवेश पत्र दिखलाना अनिवार्य होगा। प्रथम पाली की परीक्षा प्रातः 10.30 AM से 1.00 PM तक तथा द्वितीय पाली की 2.30 PM से 5.00 PM तक आयोजित की जायेगी। सभी परीक्षार्थी परीक्षा के निर्धारित समय से कम–से–कम एक घंटा पूर्व परीक्षा स्थल पर पहुँच जायेंगे ताकि सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की जा सके। परीक्षा प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्धारित समय के पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. सभी परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा कक्ष के अन्दर उनके द्वारा लाई जा रहे सभी पुस्तिकाओं में उनके प्रवेश पत्र पर अंकित नाम एवं रौल नम्बर, पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ट पर इंक पेन से लिख कर लाई जायेगी। यदि कोई परीक्षार्थी अपने साथ लाई गयी पुस्तिकाओं में अपना नाम एवं रौल नम्बर इंक पेन से अंकित नहीं करते हैं तो उन्हें किसी भी परिस्थिति में परीक्षा कक्ष में उक्त पुंस्तिका को ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. किसी भी परीक्षार्थी द्वारा अपना पुस्तिकाओं एवं अन्य अनुमोदित सामग्री के अतिरिक्त कोई भी अन्य सामान यथा मोबाईल (Mobile), ब्लुटुथ (Bluetooth), वायरलेस (Wireless) तथा अन्य कोई भी गैजेट (Gadget) परीक्षा कक्ष में नहीं लाया जायेगा। यदि किसी परीक्षार्थी के पास पूर्व अनुमोदित सामग्री के अतिरिक्त कोई भी अन्य किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

4. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा कक्ष से बाहर जाने के अनुमति नही दी जायेगी। मात्र किसी Emergency अथवा Accident की परिस्थिति में ही उन्हे बाहर जाने की अनुमति दी जा सकेगी परंन्तु उन्हें पुनः परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति इसके पश्चात् नहीं दी जायेगी।

5. विभागीय परीक्षा हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य बाहरी व्यक्ति यदि परीक्षा अवधि में परीक्षा कक्ष में बिना सक्षम अनुमति के प्रवेश करेंगे तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

6. परीक्षा कक्ष को परीक्षा प्रारंभ होने से दो घंटे पूर्व साफ–सफाई एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु खोल दिया जायेगा एवं परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् परीक्षा कक्ष को आधे घंटे के अन्दर बंद कर दिया जायेगा।

7. परीक्षा कक्ष की साफ–सफाई की व्यवस्था की जिम्मेवारी श्री रूपेश कुमार, कनीय अभियंता, बिपार्ड, पटना की होगी।

8. उपर्युक्त निदेश के सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

9. उपर्युक्त सभी निदेश तत्कालिक रूप से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

14.03.2023

(शिवेन्दु रंजन)
उप निदेशक